

नवगठित 7 संभागों एवं 41 जिलों पर आधारित

# राजस्थान का इतिहास

(प्रारम्भ से राजस्थान के एकीकरण तक)

प्रथम संस्करण

आर.ए.एस. (RAS), प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक,  
सब इंस्पेक्टर (राज. पुलिस), राज. कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक,  
एल. डी. सी., जूनियर एकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एवं अन्य प्रतियोगी  
परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक।

## विशेषताएँ:

- मा.शि. बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित सटीक एवं प्रमाणित सामग्री।
- राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं सुजस पर आधारित प्रामाणिक जानकारी।
- इतिहास का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन।
- गत परीक्षाओं (2018 से 2024) के प्रश्नों सहित विस्तृत प्रस्तुतीकरण।
- नई परीक्षाओं के अनुसार अद्यतन (Updated) सामग्री।
- महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर सारगर्भित सारणियाँ एवं चाटर्स।

लेखक

डॉ. मनीष श्रीमाली सर (सहायक आचार्य)

करण सर (लक्ष्य सीनियर टीचर)

सुरेश गहलोत (कनिष्ठ लेखाकार)

MRP : ₹190

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

# लक्ष्य क्लासेज<sup>TM</sup>

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,  
Main Road, Udaipur



## श्री आनंद अग्रवाल

निदेशक  
लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर

# दो शब्द...



प्रिय विद्यार्थियों.....

आपके समक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राजस्थान का इतिहास के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की स्टडी गाइड पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह पुस्तक विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है। यह स्टडी गाइड पुस्तक राजस्थान की सभी परीक्षाओं में राजस्थान के इतिहास की आवश्यकताओं के गहन अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर तैयार की गई है।

यह पुस्तक सम्पूर्ण नवीनतम पाठ्यक्रम और नवीनतम 7 संभाग एवं 41 जिलों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसके तहत राजस्थान के इतिहास विषय की सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री दी गई है। इस पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित सटीक एवं प्रामाणिक सामग्री तथा राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं सुजस पर आधारित प्रामाणिक जानकारी के साथ इतिहास के तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित पाठ्यसामग्री दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में सभी अध्यायों के टॉपिक्स अनुसार विगत वर्ष परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश किया गया है।

इस पुस्तक को विषय विशेषज्ञों ने अपने विशिष्ट अनुभव व कौशल से तैयार किया है। यह पुस्तक राजस्थान की परीक्षाओं के प्रतिभागियों की आगामी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है, जिससे वे अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं।

**मार्गदर्शन- लक्ष्य क्लासेज के विषय विशेषज्ञ शिक्षक मनीष श्रीमाली सर व करण सर के निर्देशन में।**

**पाठ्यसामग्री निर्माता- सुरेश गहलोत, राजवर्धन बेगड़ और गंगासिंह भाटी।**

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है।

लक्ष्य परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

**आनंद अग्रवाल**

**निदेशक, लक्ष्य क्लासेज**


लक्ष्य क्लासेज ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को लक्ष्य क्लासेज की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।



## अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय	पेज संख्या
1.	राजस्थान के इतिहास के स्रोत	1 - 9
2.	राजस्थान की सभ्यताएँ एवं पुरास्थल	10 - 25
3.	प्रमुख राजवंश	26 - 100
4.	प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था	101 - 109
5.	1857 की क्रांति	110 - 121
6.	राजस्थान के किसान एवं जनजातीय आन्दोलन	122 - 140
7.	राजस्थान में राजनैतिक जागृति तथा प्रजामंडल आन्दोलन	141 - 157
8.	प्रमुख समाचार पत्र	158 - 162
9.	राजस्थान का एकीकरण	163 - 170
10.	प्रमुख व्यक्तित्व	171 - 180

## राजस्थान के इतिहास का परिचय



- वर्ष 1949 से पहले "राजस्थान" नाम की कोई भौगोलिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी।
- वर्ष 1800 में **जॉर्ज थॉमस** ने इस भू-भाग के लिए "राजपूताना" शब्द का प्रयोग किया।
- वर्ष 1829 में **कर्नल जेम्स टॉड** ने अपनी पुस्तक "एनल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान" में इसे "रायथान" या "राजस्थान" नाम दिया।
- स्वतंत्रता के बाद जब विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तो **30 मार्च, 1949** को इस क्षेत्र का नाम "राजस्थान" रखा गया। राजस्थान का नामकरण विभिन्न राजवंशों और उनकी परंपराओं के साथ-साथ क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को भी समेटता है।
- प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं, जो भौगोलिक विशेषताओं या वहां की बसी जातियों के नाम पर आधारित होते थे।

### प्राचीनतम नाम और उनके विवरण-

- **मरु और धन्व-** जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए प्रयुक्त होते थे। जोधपुर को पहले "मरू" और "मरूवार" कहा जाता था और बाद में इसे "मारवाड़" कहा गया।
- **जांगल-** इस नाम का प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया गया, जहां शमी, कैर या पीलू होते थे। बीकानेर और नागौर का क्षेत्र "जांगल देश" कहलाता था।

### भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित क्षेत्र-

- **कांठल-** माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ का भू-भाग।
- **छप्पन का मैदान-** प्रतापगढ़-बाँसवाड़ा के मध्य, जहां 56 गाँवों का समूह था।
- **ऊपरमाल-** भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक का पठारी क्षेत्र।
- **गिरवा-** उदयपुर के आस-पास का पहाड़ी क्षेत्र।

### अन्य प्राचीन नाम-

- **माँड-** जैसलमेर का प्राचीन नाम।
- **बागड़-** डूंगरपुर और बाँसवाड़ा का क्षेत्र।
- **हाड़ौती-** कोटा और बूंदी के त्रिकोण का प्रदेश।
- **शेखावाटी-** सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र।

## राजस्थान के प्रमुख शिलालेख

- उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को 'एपीग्राफी' (पुरालेखशास्त्र) कहा जाता है।
- अभिलेखों एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन 'पेलियोग्राफी' (पुरालिपिशास्त्र) कहलाता है।
- भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने किया। श्री ओझा ने भारतीय लिपियों पर 'भारतीय प्राचीन लिपिमाता' पुस्तक की रचना की।
- **शिलालेख/अभिलेख** - शिलालेख या अभिलेख वे लिखित सामग्री होती है, जो पत्थर की शिलाओं, दीवारों, स्तम्भों आदि पर अंकित होती है।
- **प्रशस्ति** - जब किसी शिलालेख में किसी शासक की उपलब्धियों और उनकी महानता का बखान किया जाता है, तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है।
- **भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख-** शक शासक रुद्रदामन का 'जूनागढ़ अभिलेख' (गुजरात)।

### नांदसा यूप-स्तम्भ लेख (225 ई.)

- भीलवाड़ा जिले में स्थित इस यूप-स्तम्भ की स्थापना 225 ई. में की गई थी। इस लेख से पता चलता है कि शक्तिगुणगुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ षष्ठिरात्र (छः रातों में सम्पन्न) यज्ञ किया था। इस स्तम्भ की स्थापना पश्चिमी (शक) क्षत्रपों के राज्य-काल में सोम द्वारा की गई थी।

### घोसुण्डी शिलालेख (द्वितीय शताब्दी ई.पू.)

- यह शिलालेख चित्तौड़ से सात मील दूर घोसुण्डी गाँव से प्राप्त हुआ था।
- इस लेख की भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है।
- इस लेख में उल्लेख है कि गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था।



- शिलालेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का वर्णन मिलता है।
- घोसुण्डी शिलालेख को सर्वप्रथम डॉ. भंडारकर ने पढ़ा था।
- वर्तमान में यह शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है।

#### **बड़वा यूप-स्तम्भ लेख (238-39 ई.)**

- यह लेख बारां जिले के बड़वा नामक स्थान से प्राप्त कुल 3 यूप स्तम्भों में से एक पर उत्कीर्ण है।
- इस लेख में मौखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है।
- इसमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है, जिन्हें मौखरी महासेनापति बल के तीन पुत्रों — बलवर्धन, सोमदेव और बलसिंह ने संपन्न किया था।
- इस शिलालेख की **भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी** है।

#### **गंगधार का लेख (423 ई.)**

- यह लेख झालावाड़ जिले में गंगधार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जिसकी भाषा संस्कृत है। इस लेख के अनुसार राजा विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष ने एक विष्णु मन्दिर का निर्माण करवाया था। उसने तांत्रिक शैली का मातृगृह और एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। इस लेख से पाँचवीं शताब्दी की सामंती व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

#### **बड़ली गाँव का शिलालेख (443 ई. पूर्व)**

- यह शिलालेख अजमेर जिले के **बड़ली गाँव के भिलोत माता मंदिर** से एक स्तम्भ के टुकड़े के रूप में प्राप्त हुआ।
- यह राजस्थान का सबसे **प्राचीन शिलालेख** है।
- शिलालेख की **लिपि ब्राह्मी** है।
- यह शिलालेख खंडित अवस्था में 1912 ई. में डॉ. जी. एच. ओझा को प्राप्त हुआ था।
- वर्तमान में यह शिलालेख अजमेर संग्रहालय में रखा गया है।

#### **भाबू शिलालेख**

- यह शिलालेख **1837 ई. में कैप्टन बर्ट** को बीजक की पहाड़ी (बैराठ) से प्राप्त हुआ था।
- इस शिलालेख की **भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी** है।
- इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ में आस्था व्यक्त की है।
- यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण प्रदान करता है।

#### **बैराठ शिलालेख**

- यह शिलालेख बैराठ के पास **भीम डूंगरी की तलहटी** में एक चट्टान पर उत्कीर्ण है।
- इस शिलालेख की खोज **1871-72 ई.** में पुरातत्त्ववेत्ता **कार्लाइल** ने की थी।
- शिलालेख की **भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी** है।

#### **नगरी का लेख (200-150 ई.पू.)**

- यह शिलालेख डॉ. ओझा को नगरी (चित्तौड़गढ़) नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था।
- डॉ. ओझा ने इस लेख को उदयपुर संग्रहालय में रखा।
- इसकी लिपि घोसुण्डी के लेख की लिपि से मिलती-जुलती है।

#### **विजयगढ़ यूप-स्तम्भ लेख (371 ई.)**

- यह शिलालेख भरतपुर के बयाना स्थित विजयगढ़ दुर्ग की दीवार पर पाया गया।
- इसमें यशोवर्मन के पुत्र विष्णुवर्धन द्वारा मालव युग में पुंडरिक यज्ञ करने का उल्लेख है।

#### **नगरी का शिलालेख (424 ई.)**

- यह शिलालेख डी. आर. भंडारकर को नगरी (चित्तौड़गढ़) के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था।
- वर्तमान में यह शिलालेख अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है।
- शिलालेख की **भाषा संस्कृत और लिपि नागरी** है।

#### **भ्रमर माता का लेख (490 ई.)**

- यह शिलालेख प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी स्थित भ्रमर माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था।
- यह लेख पाँचवीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है।
- इस प्रशस्ति का रचनाकार मित्रसोम का पुत्र ब्रह्मसोम था और लेखक पूर्वा था।

#### **बसन्तगढ़ का लेख (625 ई.)**

- यह शिलालेख सिरोही जिले के बसन्तगढ़ से वि.सं. 682 का प्राप्त हुआ है, जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है।
- इस लेख से यह ज्ञात होता है कि वर्मलात उस समय अर्बुद देश का स्वामी था।
- इस लेख में सामन्त प्रथा का भी उल्लेख मिलता है।
- वर्तमान में यह शिलालेख राजकीय म्यूजियम, अजमेर में रखा गया है।

#### **सांमोली शिलालेख (646 ई.)**

- उदयपुर जिले के सांमोली ग्राम से प्राप्त यह लेख गुहिल वंश के शासक शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक और साहित्यिक स्थिति की जानकारी के लिए यह लेख विशेष महत्वपूर्ण है।

#### **अपराजित का शिलालेख (661 ई.)**

- यह शिलालेख **नागदा गाँव** के पास स्थित **कुंडेश्वर के मंदिर** में **डॉ. ओझा** को प्राप्त हुआ था।
- डॉ. ओझा ने इसे उदयपुर के **विक्टोरिया हॉल संग्रहालय** में रखवाया।

## प्रमुख जनपद

- **मत्स्य जनपद** - महाभारत में एक राज्य के रूप में इसका उल्लेख है, जो जयपुर, अलवर, कोटपुतली-बहरोड़, डीग और भरतपुर तक फैला था। इसकी राजधानी विराटनगर थी।
- **शूरसेन जनपद** - भरतपुर के मथुरा क्षेत्र के निकट स्थित था और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इस जनपद का अस्तित्व मुख्यतः उत्तरप्रदेश में था। इसकी राजधानी मथुरा थी। राजस्थान के करौली धौलपुर, पूर्वी अलवर, भरतपुर, डीग का भाग इसी जनपद में शामिल था।
- **शिवि जनपद** - उदयपुर और चित्तौड़ के आस-पास का क्षेत्र 'शिवि' जनपद के नाम से जाना जाता था। इस जनपद की राजधानी मध्यमिका (मज्झमिका/वर्तमान में नगरी) थी। इस जनपद का उल्लेख पंतजलि के महाभाष्य में भी मिलता है।
- **कुरू जनपद** - राजस्थान का खैरथल-तिजारा क्षेत्र (अलवर का उत्तरी भाग) इस जनपद में शामिल था। इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी।
- **यौधेय जनपद** - राजस्थान का उत्तरी भाग यथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे।
- **राजन्य जनपद** - राजस्थान का भरतपुर व डीग क्षेत्र शामिल था।
- **अर्जुनायन जनपद** - इस जनपद में राजस्थान का अलवर, खैरथल, भरतपुर व डीग क्षेत्र शामिल था।
- **शाल्व जनपद** - इस जनपद के अन्तर्गत खैरथल-तिजारा तथा अलवर का क्षेत्र आते थे। महाभारत के अनुसार इस जनपद की राजधानी मृत्तिकावती थी।

## इतिहास का काल विभाजन

इतिहास का काल विभाजन तीन मुख्य वर्गों में किया जाता है-

- (1) **प्राक् युग**- वह काल, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात् मानव लेखनकला से अपरिचित था। इसमें मानव सभ्यता के आरम्भ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का समय शामिल है।
- (2) **आद्य युग**- इस युग में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन वे अस्पष्ट हैं या उनकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ई.पू. तक का है।
- (3) **ऐतिहासिक युग**- इस काल में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह युग 600 ई.पू. से शुरू होकर वर्तमान तक जारी है।

- मानव सभ्यता का उदय मुख्य रूप से नदी घाटियों में हुआ, जहाँ जल की प्रचुरता और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता ने जीवन को सुगम बनाया।
- मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को **पाषाण काल** कहा जाता है, जिसे **तीन भागों में विभाजित** किया गया है-
- (1) **पूर्व पाषाण काल** - यहाँ के उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के, यह संकेत करते हैं कि आज से लगभग दो या डेढ़ लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव संस्कृति विद्यमान थी।
- **1870 ई. में सी.ए. हैकेट ने जयपुर और इन्द्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार (Hand-axe) खोजी।**
- **सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले।**
- राज्य की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से **चम्बल, बनास और उनकी सहायक नदियों** के किनारे **पूर्व पाषाणकालीन उपकरण** प्राप्त हुए हैं।
- जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय **बी. आल्चिन** को जाता है।
- (2) **मध्य पाषाण काल** - राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मिले मध्य पाषाणकालीन उपकरण इस बात के प्रमाण हैं कि मानव ने उन क्षेत्रों में निवास किया था। इस समय के उपकरण छोटे, हल्के और अच्छी तरह से निर्मित होते थे।
- इन उपकरणों का निर्माण **जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कल्सेडोनी** जैसे पाषाणों से किया गया था। विशेष रूप से **ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायएंगल, क्रेसेन्ट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, और प्वाइंटर** जैसे उपकरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें **माइक्रोलिथ (लघु पाषाण उपकरण)** के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मानव सभ्यता के तकनीकी कौशल के विकास का प्रतीक हैं।
- (3) **उत्तर (नव) पाषाण काल**- राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, और जोधपुर से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के कई उपकरण मिले हैं।
- उत्तर पाषाण काल में मानव ने **कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास** की ओर बढ़ना शुरू किया। इस काल के उपकरणों में पत्थर की छड़ें, चाकू और अन्य औजार शामिल हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल बनाने में सहायक थे।

**शैलाश्रय -**

- राजस्थान में **अरावली पर्वत शृंखला तथा चंबल नदी की घाटी** से शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, जिनसे प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है।
- इन शैलाश्रयों में **सर्वाधिक आखेट से संबंधित चित्र** उपलब्ध होते हैं।
- बूँदी में **छाजा नदी** तथा कोटा में **चंबल नदी** क्षेत्र उल्लेखनीय है।
- इनके अतिरिक्त विराटनगर (जयपुर), सोहनपुरा (सीकर) तथा हरसौरा (अलवर) आदि से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं।

## प्राचीन सभ्यताएँ

### कांस्ययुगीन सभ्यता स्थल

**कालीबंगा सभ्यता**
**परिचय**

- कालीबंगा राजस्थान राज्य के **हनुमानगढ़ जिले** का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ **सिंधु घाटी सभ्यता** के महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं।
- कालीबंगा को **कांस्य युगीन** सभ्यता माना जाता है।
- कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ '**काले रंग की चूड़ियाँ/काली चूड़ी**' है। यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों के कारण ही इस स्थान को 'कालीबंगा' कहा गया।

**खोज एवं एवं उत्खनन कार्य -**

- सर्वप्रथम **एल. पी. टेस्सीटोरी** ने कालीबंगा की जानकारी दी थी।
- कालीबंगा प्राचीन **सरस्वती नदी (वर्तमान में घग्घर)** के बाएँ तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित **नगरीय सभ्यता** थी।
- सर्वप्रथम इसकी खोज वर्ष **1952** में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के निदेशक '**अमलानंद घोष**' द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की गई थी।

**नोट -** सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख **ऋग्वेद के दसवें मण्डल** में मिलता है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है। घग्घर नदी को **दृषद्वती नदी, सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक** भी कहा जाता है।

- कालीबंगा में वर्ष **1961-1969** तक **बी. बी. लाल तथा बी.के. थापर व एम.डी. खरे** के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया।
- कालीबंगा में **उत्खनन पाँच स्तरों में** किया गया था, जिसे **कालीबंगा I से V** के रूप में पहचाना गया।

- यहाँ से **प्राक् हड़प्पा (प्रथम व द्वितीय स्तर)** और **विकसित हड़प्पा (तृतीय, चतुर्थ व पंचम स्तर)** के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- **कालीबंगा में वर्तमान समय में तीन टीले प्राप्त हुए हैं-**  
KLB1 - पश्चिम में छोटा  
KLB2 - मध्य में बड़ा  
KLB3 - पूर्व में सबसे छोटा
- कालीबंगा के टीलों पर किए गए उत्खनन कार्य में पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊँचा है तथा पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है।

**सभ्यता का काल-**

- **कार्बन डेटिंग पद्धति** के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय **2350 ई.पू. से 1750 ई.पू.** माना जाता है।

**महत्वपूर्ण तथ्य-**

- हड़प्पाकालीन कालीबंगा **दो भागों** में विभाजित था। पश्चिमी भाग ऊँचाई पर बना हुआ था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। इसमें प्रशासनिक भवन बने होते थे। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों भाग अलग-अलग सुरक्षित प्राचीरों से घिरे हुए थे।
- **डॉ. दशरथ शर्मा** ने कालीबंगा को **सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी** कहा है।
- **नोट-** ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो को माना गया है।
- कालीबंगा देश का **तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल** है।
- **नोट-** देश के दो बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी (हरियाणा) एवं धौलावीरा (गुजरात) है।
- कालीबंगा को '**दीन-हीन बस्ती**' भी कहा जाता है।
- कालीबंगा में **मातृसत्तात्मक परिवार** की व्यवस्था विद्यमान थी।
- **पाकिस्तान के कोटदीजी** नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते-जुलते हैं।
- संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को '**बहुधान्यदायक क्षेत्र**' कहा जाता था।
- कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से **मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं** हुई है।
- वर्ष **1961** में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा **90 पैसे का डाक टिकट** जारी किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष **1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना** की गई।



### राजपूतों की उत्पत्ति

- **हर्षवर्धन की मृत्यु (647 ई.) के बाद**, जो राजनीतिक एकता गुप्त साम्राज्य के समय में स्थापित हुई थी, वह धीरे-धीरे समाप्त होने लगी, इस समय के दौरान उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई, जो आपस में संघर्षरत थे।
- इन संघर्षों के परिणामस्वरूप जो नए राजवंश उभरे, उन्हें राजपूत राजवंश कहा गया। इन राजवंशों का महत्त्व इस तथ्य से है कि भारत का पूर्व-मध्यकालीन इतिहास इन राजपूतों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस काल को राजपूत काल के रूप में भी जाना जाता है।
- **प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ** ने लिखा है कि "राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि सातवीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है।"

#### अग्निकुण्ड से उत्पत्ति का सिद्धांत-

- **पृथ्वीराज रासो के रचयिता चन्द्रबरदाई** के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा आबू के अग्निकुण्ड (यज्ञ कुण्ड) से हुई।
- मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ कुण्ड की रक्षा के लिए तीन योद्धा उत्पन्न हुए, जिन्हें **परमार, चालुक्य और प्रतिहार** कहा गया।
- जब ये तीनों योद्धा रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तब वशिष्ठ ने **चौथा योद्धा चौहान** उत्पन्न किया, जो पहले तीनों से अधिक शक्तिशाली था।
- इस सिद्धांत को **जेम्स टॉड ने स्वीकार** किया, जो इस बात का प्रमाण है कि राजपूतों का इतिहास और उनकी उत्पत्ति को पौराणिक दृष्टिकोण से भी समझा गया है।

#### वैदिक आर्यों से उत्पत्ति-

- **जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य** ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान माना जाता है।
- ओझा और वैद्य के अनुसार राजपूतों की पूजा परंपराओं में **अश्व (घोड़ा) और अस्त्र (हथियार) की पूजा** महत्वपूर्ण रही है, जो वैदिक संस्कृति में भी प्रचलित थी।
- **यज्ञ और बलि जैसी परंपराएं** भी वैदिक आर्यों की संस्कृति में प्रमुख थीं। इन परंपराओं में समानता के कारण राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना गया।

#### राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति-

- **डॉ. दशरथ शर्मा** ने बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को **वत्स गोत्रीय ब्राह्मण** बताया गया है।

#### राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के अन्य प्रमाण-

- (1) क्याम खां रासो
- (2) चन्द्रावती अभिलेख (सिरोही)
- (3) गोपीनाथ शर्मा

#### विदेशी जातियों से उत्पत्ति -

- **शक और सीथियन जाति-** टॉड का मानना है कि राजपूतों का संबंध शक या सीथियन जाति से है। उनके अनुसार इन विदेशी जातियों को **अग्नि संस्कार (अग्निकुण्ड)** द्वारा पवित्र किया गया और इन्हें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। टॉड का तर्क है कि राजपूतों के कई रीति-रिवाज, जैसे **अश्वपूजा, अश्वमेघ, अस्त्रपूजा और अस्त्र-शिक्षा**, शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जो इस संबंध को और मजबूती प्रदान करते हैं।
- **कनिंघम का दृष्टिकोण-** ब्रॉच-गुर्जरा ताम्रपत्र के आधार पर, कनिंघम ने राजपूतों को यू ची जाति से जोड़ा है और इन्हें कुषाण जाति से संबंधित माना है।
- **अन्य समर्थक-**
  - (1) विलियम क्रुक
  - (2) स्मिथ

### गुर्जर-प्रतिहार राजवंश

#### परिचय-

- राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में **गुर्जरात्रा प्रदेश** में प्रतिहार वंश की स्थापना हुई।
- प्रतिहार शब्द का अर्थ '**द्वारपाल**' है, क्योंकि प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की।
- अतः इनकी तुलना मौर्य व गुप्त राजाओं से भी की जा सकती है।
- प्रतिहार स्वयं को **लक्ष्मण के वंशज सूर्यवंशी/रघुवंशी** मानते हैं क्योंकि लक्ष्मण राम के प्रतिहार (द्वारपाल) थे, अतः यह वंश प्रतिहार कहलाया।
- गुर्जर-प्रतिहारों का शासन **छठी से दसवीं शताब्दी तक जोधपुर के मण्डोर व जालोर के भीनमाल क्षेत्र** में रहा था, इन्होंने बाद में उज्जैन व कन्नौज को अपनी शक्ति का केन्द्र बनाया।
- गुर्जर-प्रतिहारों ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया।
- **डॉ. आर सी. मजूमदार** के अनुसार गुर्जर-प्रतिहारों ने छठी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया।

- उत्तर-पश्चिम भारत में गुर्जर-प्रतिहार वंश का शासन छठी से बारहवीं सदी तक रहा था।
- बादामी के चालुक्य नरेश 'पुलकेशिन-द्वितीय' के 'एहोल अभिलेख' में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है।
- चंदेल वंश के शिलालेख में गुर्जर-प्रतिहार शब्द का उल्लेख मिलता है।
- छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर-पश्चिम भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जो 'गुर्जर-प्रतिहार वंश' कहलाया।
- नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडाह शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है।
- स्कन्द पुराण के पंच द्रविड़ों में गुर्जरो का उल्लेख मिलता है।
- अरब यात्रियों ने इन्हें 'जुर्ज' कहा है। अलमसूदी ने गुर्जर-प्रतिहार को 'अल गुर्जर' और राजा को 'बोरा' कहा है।
- मिहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा है।
- मुहणोत नैणसी ने गुर्जर-प्रतिहारों की '26 शाखाओं' का वर्णन किया, जिनमें मंडोर, जालोर, राजोरगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ौच के गुर्जर-प्रतिहार बड़े प्रसिद्ध रहे थे।

#### गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना व उत्पत्ति के संदर्भ में मत-

- मारवाड़ में छठी शताब्दी ईस्वी में 'हरिश्चंद्र' (रोहिलद्धि-योग क्रिया में निपुण) नामक ब्राह्मण ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर गुर्जर-प्रतिहार वंश की स्थापना की।
- हरिश्चंद्र को गुर्जर-प्रतिहारों का 'आदिपुरुष' कहा गया है।
- गुर्जर-प्रतिहारों का प्रभाव केन्द्र मारवाड़ था।
- बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक 'हर्षचरित' में गुर्जरो का वर्णन किया है।
- प्रतिहार राजवंश महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक था।
- डॉ. भंडारकर ने गुर्जर-प्रतिहारों को खिज्रों की संतान बताकर विदेशी साबित किया है।
- डॉ. गौरीशंकर ओझा प्रतिहारों को क्षत्रिय मानते हैं।

#### मण्डोर के प्रतिहार

- गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से यह शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी।
- डॉ. आर. सी. मजूमदार के अनुसार प्रतिहार शब्द का प्रयोग मण्डोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे।
- गुर्जर-प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मण्डोर थी।
- घटियाला शिलालेख में मण्डोर के प्रतिहार वंश की प्रारम्भिक स्थिति व वंशावली मिलती है।

#### हरिश्चंद्र

- हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु/गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष/ गुर्जर-प्रतिहारों का मूल पुरुष कहते हैं।
- हरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मण तथा दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा था।
- घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की पत्नी भद्रा से चार पुत्र भोगभट्ट, कदक, रज्जिल और दह उत्पन्न हुए।
- हरिश्चंद्र के चारों पुत्रों ने मण्डव्यपुर (मण्डोर) को जीता तथा इसके चारों ओर परकोटा बनवाया।
- मण्डोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है।

#### रज्जिल

- रज्जिल ने मंडोर के आस-पास के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया तथा मण्डोर को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया।

#### नरभट्ट

- चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नरभट्ट का उल्लेख 'पेल्लोपेल्ली' नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य करने वाला होता है।
- यह रज्जिल का पुत्र था जो रज्जिल का उत्तराधिकारी बना।
- नरभट्ट की रणकुशलता के कारण इनको अभिलेखों में 'पिल्लापल्ली' के नाम (उपाधि) से पुकारा गया है।

#### नागभट्ट-प्रथम

- यह नरभट्ट का पुत्र व रज्जिल का पौत्र था जो एक प्रतापी शासक था।
- नागभट्ट-प्रथम को नाहड़ के नाम से पुकारा जाता था।
- घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट-प्रथम ने मण्डोर राज्य की पूर्वी सीमा का विस्तार कर अपनी राजधानी 'मेड़ान्तक (मेड़ता)' को बनाई।
- ग्वालियर प्रशस्ति में इसे 'नारायण' और 'मलेच्छों का नाशक' भी कहा गया है।

#### यशोवर्धन

- यह नागभट्ट-प्रथम के पुत्र तात का पुत्र था।
- राजोली ताम्रपत्र के अनुसार इसके समय पृथुवर्धन ने गुर्जर-प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा था।

#### शिलूक

- यह गुर्जर-प्रतिहार राजा यशोवर्धन के पुत्र चन्दुक का पुत्र था।
- घटियाला शिलालेख के अनुसार शिलूक ने देवराज भाटी से युद्ध किया तथा देवराज भाटी को मारकर उनके राज्य चिह्न व छत्र को छीन लिया था।

## प्रशासनिक व्यवस्था

### केंद्रीय प्रशासन

#### शासक वर्ग-

- राजपूताना के शासक अपनी-अपनी रियासतों में **स्वतंत्र तथा प्रभुता सम्पन्न** होते थे, लेकिन **निरंकुश नहीं** होते थे।
- राजा **समकक्षों में प्रथम** होता था।
- ये शासक अनेक प्रकार की **उपाधियाँ** जैसे- **महाराजाधिराज, राजराजेश्वर आदि** धारण करते थे।
- **शक्तियाँ**- राज्य का शासन चलाना, उच्च पदों पर नियुक्ति, सेना का संचालन, अन्य राज्यों से संधि, न्याय का वितरण तथा दण्ड देने जैसी शक्तियाँ शासक में निहित होती थी।
- **विशेषाधिकार**- दरबार लगाना, उत्सवों पर सवारी निकालना, शिकार का आयोजन करना, उपाधि वितरण करना, आज्ञा की मुहर का प्रयोग करना इत्यादि शासक के **विशेषाधिकार** थे।
- राज्य की रक्षा का भार शासक पर होने के कारण इन्हें **'खुम्माण'** पद से विभूषित किया जाता था।
- राज्य, राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होकर सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर होती थी।
- राजा की अनुपस्थिति या शासक के अल्पवयस्क होने की स्थिति में रानियाँ शासन का संचालन करती थी।

#### मंत्री वर्ग-

- राज्य में शासक की सहायता के लिए मंत्रिमण्डल का उल्लेख मिलता है।
- मंत्री वर्ग की **नियुक्ति शासक द्वारा** की जाती थी। यह नियुक्ति वंशानुगत या बाहर के सदस्यों में से की जाती थी।
- **मेवाड़ के मंत्री वर्ग** से संबंधित उल्लेख **'सारणेश्वर शिलालेख'** में मिलता है, जिसमें- अक्षपटलिक-पुरालेख मंत्री, संधिविग्रहिक-युद्ध और संधि का मंत्री, अमात्य- मुख्यमंत्री, भिषगाधिराज- मुख्य वैद्य आदि मंत्रिमण्डल के सदस्य होते थे।

#### प्रधान/प्रधानमंत्री-

- यह शासन, सैन्य तथा न्याय से संबंधित कार्यों में **राजा की सहायता** करता था।
- अमरसिंह के काल में **मेवाड़ के प्रधान को मुख्यमंत्री** कहा जाने लगा।
- प्रधान साधारण व सैनिक शासन के अधिकारों का प्रयोग कर सकता था।

- **प्रधान को विभिन्न रियासतों में अलग-अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे-**

- (1) जयपुर रियासत में मुसाहिब
- (2) कोटा व बूंदी में दीवान
- (3) जैसलमेर, मेवाड़ व मारवाड़ में प्रधान
- (4) बीकानेर व भरतपुर में मुख्त्यार
- (5) सलूमबर में भांजगड़।

#### दीवान-

- कुछ राज्यों में प्रधान पद न होने पर **दीवान सर्वोच्च अधिकारी** होता था।
- राज्य की नियुक्तियाँ, पदोन्नति व स्थानान्तरण में उसकी सहमति ली जाती थी।
- दीवान मुख्य रूप से **राजस्व से संबंधित विभाग का अध्यक्ष** होता था। इसका मुख्य कार्य कर संग्रह तथा धन से संबंधित होता था।
- दीवान की **स्वतंत्र मुहर** होती थी तथा उस पर दीवान का नाम लिखा जाता था।
- दीवान के दफ्तर में इन सब कागजात को सुरक्षित रखा जाता था, जिसे **दीवान-ए-हजूरी** कहा जाता था।
- **महकमा-ए-बकायात** - यह दीवान के दफ्तर में होता था, जिसका कार्य परगनों के अधिकारियों को राजस्व की दरें, बकाया वसूली तथा दीवान-ए-हजूरी में भेजी जाने वाली राशि के बारे में दिशा-निर्देश जारी करना होता था।

#### बक्शी-

- बक्शी मुख्य रूप से **सैन्य विभाग का अध्यक्ष** होता था, जो सेना के वेतन, रसद, सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण आदि को देखता था। यह सैनिकों का वेतन भी निश्चित करता था।
- बक्शी राजा का विश्वासपात्र होने के कारण **शासन की गुप्त मंत्रणाओं में भाग** लेता था।
- इसके **सहायक अधिकारी नायब-बक्शी** कहलाते थे तथा किलेदार व खबर नवीस आदि अधिकारी इसके अधीन होते थे।
- मुशरिफ, जखीरा, दरोगा, तहसीलदार जखीरा, तोपखाना आदि बक्शी के अधीन होते थे।

#### खानसामां-

- यह राजपरिवार के सर्वाधिक निकटस्थ प्रभावशाली अधिकारी होता था। ये **दीवान के अधीन** होता था।
- खानसामां का **राज्य के कारखानों से सीधा संबंध** होता था।
- इसका कार्य राजकीय विभागों से संबंधित सामान की खरीद करना तथा उनका संग्रह करना था।

#### दरोगा-ए-सायर-

- इसका **कार्य दान वसूली** करना था।



**वाक्यानवीस-**

- सूचना भेजने के विभाग से संबंधित।

**दरोगा-ए-डाक चौकी-**

- डाक प्रबंध के लिए।

**कोतवाल -**

- राज्य की राजधानी एवं बड़े कस्बों में कोतवाल नामक अधिकारी नियुक्त होते थे, जिनका प्रमुख कार्य नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरी-डकैती का पता लगाना, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना, नाप-तौल पर नियंत्रण रखना, मार्गों की देखभाल करना, रात्रि गश्त का प्रबंध करना तथा साधारण विवादों का निपटारा करना होता था।

**ड्योढ़ीदार -**

- इसका कार्य महल की सुरक्षा एवं निरीक्षण करना होता था।

**मुत्सद्दी -**

- इसका कार्य राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करना था।

**खजांची -**

- खजांची का कार्य राज्य में रुपये जमा करने तथा खर्च करने से संबंधित जानकारी रखना होता था।
- मेवाड़ में कोषपति कहा जाता था।

**परगने का प्रशासन/स्थानीय प्रशासन**

- राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए परगनों में बाँटा जाता था।
- विभिन्न परगनों में परगना अधिकारियों को अलग-अलग नाम से जाना जाता था।
- मारवाड़ में इन्हें हाकिम और फौजदार कहा जाता था। हाकिम की नियुक्ति व पदच्युति सीधे महाराजा द्वारा होती थी।
- राज्य से छोटी इकाई परगना होती थी जिसमें ग्राम, मण्डल, दुर्ग आदि आते थे।
- ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक, मण्डल का मण्डलपति तथा दुर्ग का दुर्गाधिपति तथा तलारक्ष कहलाता था।

**हाकिम -**

- यह परगने में शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
- हाकिम की सहायता के लिए शिकदार, कानूनगो, खजांची व शहने आदि अधिकारी होते थे जो वैतनिक व अनाज के बदले में कार्य करते थे।

**फौजदार -**

- यह पुलिस तथा सेना का अध्यक्ष होता था।
- परगने की सीमा की सुरक्षा का दायित्व इसी पर होता था।
- ये अमल गुजार, अमीन व आमिल को राजस्व वसूलने में सहयोग करता था।

- इसके अधीनस्थ कई थानेदार होते थे जो चोरों और डाकुओं का पता लगाते थे।
- फौजदार द्वारा डाकुओं के विरुद्ध स्वयं सेना लेकर अभियान पर जाना मारवाड़ में 'बाहर चढ़ना' कहलाता था।

**आमिल -**

- आमिल का मुख्य कार्य परगने में भू-राजस्व की दरें लागू करना तथा भू-राजस्व वसूल करना था। इस कार्य में कानूनगो, पटेल, पटवारी तथा चौधरी आदि आमिल की सहायता करते थे।

**ओहदेदार -**

- बड़े परगनों में ओहदेदार नामक अधिकारी भी होता था जो शासन कार्य में हाकिम की सहायता करता था।

**खुफिया नवीस -**

- यह परगने की रिपोर्ट दीवान के पास भेजता था।

**पोतदार -**

- यह परगने की आय तथा व्यय का हिसाब रखता था।

**गाँव का प्रशासन**

- गाँव शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसे प्रशासनिक रूप से मौजे कहा जाता था।
- पहले से बसे गाँव को 'असली' तथा नए बसे गाँव को 'दाखिली' कहा जाता था।
- गाँव या गाँव के समूह का मुखिया ग्रामिक कहलाता था।
- मेवाड़ में जिस गाँव में राजपूत अधिक होते थे उसे 'गाड़ा', भील तथा मीणों की अधिक जनसंख्या वाले गाँव को 'गमेती' तथा महाजनों की अधिक जनसंख्या वाले गाँव या बस्ती को 'पटवारी' कहा जाता था।
- ग्राम पंचायत, ग्रामों में न्याय, झगड़े निपटाना धार्मिक व सामाजिक कार्य करती थी, जिसे राज्यों द्वारा मान्यता दी जाती थी।

**पटवारी -**

- भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने व राजस्व इकट्ठा करने के लिए।

**कनवारी -**

- खेत के रक्षक

**दफेदार -**

- राज्य का लेखा-जोखा रखने वाला

**तलवाटी -**

- उपज तोलने वाला

**सैनिक संगठन**

- सेना दो भागों में विभाजित होती थी।
- किसी शासक की सेना को 'अहदी' तथा किसी दूसरे सामंत की सेना को 'जमीयत' कहते थे।
- शासक की सेना में सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा वेतन संबंधी कार्य दीवान तथा मीरबक्शी द्वारा किए जाते थे। जमीयत के लिए यह कार्य सामंत द्वारा किया जाता था।

**पृष्ठभूमि-**

- **मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप-** मराठों ने दक्षिण भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के बाद मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया, इस स्थिति ने उन्हें राजस्थान में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- **मई, 1711 ई.** में प्रथम बार मराठों ने **मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र** किया था।
- 1734 ई. में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धसिंह ने मराठों की सहायता से दलेलसिंह को गद्दी से हटा दिया। यह घटना राजस्थान में किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष के दौरान मराठों को आमंत्रित करने का पहला उदाहरण था।
- इस स्थिति ने मराठों के लिए राजस्थान में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद स्थानीय रजवाड़ों के बीच चल रहे संघर्षों में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया, जिससे वे धीरे-धीरे इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गए।

**हुरड़ा सम्मेलन-**

- राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से मुक्ति पाने के लिए **जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के प्रयासों से जुलाई, 1734 ई. में एक सम्मेलन** का आयोजन किया गया।
- **मेवाड़ महाराणा जगतसिंह द्वितीय की अध्यक्षता** में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, के शासक मेवाड़ में **हुरड़ा** नामक स्थान पर एकत्र हुए और **17 जुलाई, 1734 ई.** को एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया।
- वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु **रामपुरा** में एकत्र होना तय किया।
- इस सम्मेलन में किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परन्तु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था तथा प्रतिभा सम्पन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। साथ ही रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य सम्भवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे।

**राजस्थान में सहायक संधियाँ-**

- **वेलेजली की सहायक संधियों के तहत संधि करने वाली राजस्थान की रियासतें-**
- **प्रथम रियासत** - भरतपुर (सितम्बर, 1803), शासक - रणजीत सिंह।
- **दूसरी रियासत** - अलवर (नवम्बर, 1803), शासक - बख्तावर सिंह।

**ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा राजपूताना की विभिन्न रियासतों के साथ की गई संधियाँ-**

रियासत	संधि तिथि एवं वर्ष	शासक
भरतपुर	29 सितम्बर, 1803	महाराजा रणजीत सिंह
अलवर	14 नवम्बर, 1803	बख्तावर सिंह
जयपुर	12 दिसम्बर, 1803	महाराजा जगतसिंह द्वितीय
जोधपुर	22 दिसम्बर, 1803	महाराजा मानसिंह
धौलपुर	29 जनवरी, 1804	कीरतसिंह

**लॉर्ड्स हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधियाँ-**

- 1817-18 ई. में राजस्थान की रियासतों के साथ संधियाँ की गई, जिसमें **दिल्ली के रेजीडेंट चार्ल्स मेटकॉफ** तथा **मालवा के रेजीडेंट जॉन मेल्कॉम** ने मुख्य भूमिका निभाई।
- **संधि करने वाली प्रथम रियासत** - करौली (9 नवम्बर, 1817), शासक - रणजीतसिंह।
- **संधि करने वाली अंतिम रियासत** - सिरौही (11 सितम्बर, 1823), शासक - शिवसिंह।
- **पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत** - कोटा (26 दिसम्बर, 1817), शासक - महाराव उम्मेदसिंह प्रथम।
- अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए दिल्ली में **रेजीडेंट फॉर राजपूताना** का पद सृजित किया गया तथा **David Ochterlony** को इस पद पर नियुक्त किया गया।

**सहायक संधि की सामान्य शर्तें-**

- (1) **सुरक्षा और शांति-** अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की व्यवस्था का आश्वासन दिया।
- (2) **सर्वोच्चता की स्वीकृति-** रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को मान्यता दी।
- (3) **वार्षिक खिराज-** खिराज की राशि विभिन्न राज्यों की संधियों में भिन्न थी और इसे मराठों के खिराज को आधार बनाकर तय किया गया।
- (4) **वंशानुगत राज्याधिकार-** अंग्रेजों ने रियासती राजाओं के वंशानुगत राज्याधिकार को स्वीकार किया।
- (5) **पोलिटिकल एजेंट-** प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पोलिटिकल एजेंट रखा गया, जो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- (6) **विदेश नीति का हस्तांतरण-** रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और विवादों को उनके पास लाने का वादा करना पड़ा।
- (7) **सैनिक साधन-** आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के सैनिक साधनों को अंग्रेजों के सुपुर्द करने के लिए तैयार रहे।

- ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी।

राजपूताना की रियासतों के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 1817-18 की संधियाँ		
राज्य	संबंधित शासक	संधि का वर्ष
करौली	हरवक्षपालसिंह	9 नवम्बर, 1817
टोंक	अमीर खाँ	15 नवम्बर, 1817
कोटा	उम्मेदसिंह	26 दिसम्बर, 1817
जोधपुर	मानसिंह	6 जनवरी, 1818
उदयपुर	भीमसिंह	13 जनवरी, 1818
बूंदी	विष्णुसिंह	10 फरवरी, 1818
बीकानेर	सूरतसिंह	21 मार्च, 1818
किशनगढ़	कल्याणसिंह	7 अप्रैल, 1818
जयपुर	जगतसिंह द्वितीय	15 अप्रैल, 1818
प्रतापगढ़	सामंतसिंह	5 अक्टूबर 1818
जैसलमेर	मूलराज द्वितीय	1 दिसम्बर, 1818
डूंगरपुर	जसवंतसिंह द्वितीय	11 दिसम्बर, 1818
बाँसवाड़ा	उम्मेदसिंह	25 दिसम्बर, 1818
सिरोही	शिवसिंह	11 सितम्बर, 1823
झालावाड़	मदनसिंह	10 अप्रैल, 1838

#### राजस्थान में 1857 के विद्रोह के कारण-

- (1) **राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष-** अंग्रेजों ने वर्ष 1826 में **अलवर राज्य में हस्तक्षेप** कर राज्य को दो हिस्सों में बांटने का कार्य किया गया। इसी वर्ष भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट किया गया, जिससे वहाँ पॉलिटिकल एजेंट के अधीन एक काउंसिल स्थापित की गई तथा **वर्ष 1844 में बाँसवाड़ा** के महारावल लक्ष्मणसिंह के नाबलिंग होने के कारण राज्य पर नियंत्रण किया गया।
- (2) **राज्य नियंत्रित सेना का गठन-** अंग्रेजों ने शांति व्यवस्था के नाम पर विभिन्न बटालियनों और ब्रिगेडों का गठन किया, जैसे **मेरवाड़ा बटालियन और जोधपुर लीजियन**। इनका खर्चा राज्यों से वसूला गया।
- (3) **राज्य के आंतरिक शासन में सीधा हस्तक्षेप-** डूंगरपुर के शासक जसवंतसिंह के स्थान पर दलपतसिंह को नियुक्त करना और 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, यह इंगित करता है कि अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों की नियुक्ति में सीधा हस्तक्षेप किया।
- (4) **वार्षिक खिराज का निर्धारण-** 1818 की संधियों के तहत प्रत्येक राज्य द्वारा अंग्रेजों को दी जाने वाली वार्षिक खिराज की

राशि मनमाने तरीके से निर्धारित की गई, बिना संसाधनों के उचित आंकलन के।

- (5) **साम्राज्यवादी नीति के तहत आर्थिक शोषण-** राजस्थान व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने यहाँ के आर्थिक ढाँचे को बुरी तरह प्रभावित किया। व्यापार पर कर बढ़ने से व्यापारिक मार्ग महंगे हो गए, जिससे राजस्थान के परंपरागत व्यापार नगर धीरे-धीरे समाप्त होने लगे।
- (6) **राजस्थान के व्यापारियों का निष्क्रमण-** अंग्रेजों ने राजस्थान के व्यापार को नष्ट करते हुए, अपने क्षेत्र में व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की, जिससे राजस्थान में रोजगार के साधन घटने लगे।
- (7) **अफीम नीति-** मेवाड़, कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य थे। अंग्रेजों ने अफीम के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की, जो इन राज्यों की आमदनी से कम थी।
- (8) **धार्मिक कारण-** ईसाई मत के प्रचारकों की गतिविधियों ने भारतीय समाज में यह धारणा बनाई कि अंग्रेज हिन्दुओं का मतान्तरण करना चाहते हैं। विशेष रूप से, चर्बी युक्त कारतूसों की अफवाह ने धार्मिक भावना को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- (9) **साहित्यिक विरोध-** राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया। कवि बांकीदास, राघोदास, सान्दू गांगजी और सूर्यमल्ल मिश्रण जैसे कवियों ने उन शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार थे।
- (10) **सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप-** ब्रिटिश सरकार ने कई प्रचलित परंपराओं और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे **कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा**। हालांकि, इस हस्तक्षेप ने कई स्थानों पर असंतोष पैदा किया, क्योंकि स्थानीय जनसंख्या ने इसे अपनी परंपराओं पर आक्रमण समझा।

#### राजस्थान से संबंधित प्रमुख तथ्य -

- **एजेंट टू गवर्नर जनरल (ए.जी.जी.)-** राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल (ए.जी.जी.) - **अब्राहम लॉकेट**
- 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल (ए.जी.जी.) - **जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस**
- ए. जी. जी. का मुख्यालय - **अजमेर**
- ए. जी. जी. का मुख्यालय (ग्रीष्मकाल) - **माउण्ट आबू (1845 ई. में बनाया गया)**
- 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का शस्त्रागार - **अजमेर**
- **राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत** - 28 मई, 1857 को नसीराबाद छावनी से।



कठिन परीक्षाएँ भी आसान लगेंगी जब तैयारी होगी लक्ष्य के साथ।



सभी पुस्तकें आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध।



Scan to Download  
Lakshya App Now

लक्ष्य क्लासेज की प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को खरीदने के लिए QR कोड स्कैन करें।



सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

**लक्ष्य क्लासेज**<sup>TM</sup>

**M. 9079798005, 6376491126**  
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,  
Main Road, Udaipur